



डॉ० ज्योति कुमार पंकज

भारतीय कर व्यवस्था : वस्तु एवं सेवा कर का एक समीक्षत्मक विश्लेषण

असि० प्रो०- अर्थशास्त्र विभाग, गोड्डा कॉलेज, गोड्डा सि०का०मु०वि०, दुमका (झारखण्ड), भारत

Received-10.07.2023, Revised-16.07.2023, Accepted-20.07.2023 E-mail: pankaj_panthi@yahoo.co.in

सारांश: भारतीय कर व्यवस्था का इतिहास प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। आदिम तथा प्राचीन समुदायों एवं राजाओं के शासन काल में कर किसी न किसी रूप में वसूल किये जाते रहे हैं। तब ये कर अधिकतर पशुओं की खरीद-बिक्री, व्यापार एवं उत्पादन पर लगाये जाते थे। मनुस्मृति के अवलोकन से यह पता चलता कि प्राचीन काल में भी एक सुनियोजित कर व्यवस्था प्रचलित थी। प्राचीन पूर्वाचार्यों ने कर को राज्य का एक अभिन्न अंग के रूप में राज्य के विकास के लिए आवश्यक माना। मौर्य साम्राज्य के शासन काल में कौटिल्य द्वारा कराधान प्रणाली को वास्तविक, व्यापक और सुनियोजित तरीके से उल्लेखित किया गया और कौटिल्य ने मानना कि राज्य के सभी व्यापक आर्थिक एवं राजनीतिक क्रिया कलाप राजस्व कोष पर निर्भर करता है। प्राचीनकाल, मध्यकाल, मुगलकाल, एवं मराठा काल के अवधियों का अध्ययन किया जाए, तो स्पष्ट होता है कि भारतीय राज्य शासन व्यवस्था के इतिहास में कर का मौलिक महत्व रहा है। जहाँ एक तरफ प्राचीनकाल के बुद्धिमान राजाओं द्वारा कर संग्रह की व्यवस्थित नीति अपनायी गई, वही कुछ राजाओं द्वारा अपनी भोग विलासिता भरी जीवन शैली हेतु मनमाने तरीके से कर आम नागरिकों पर थोप दिये गये थे। वर्तमान करों का नियमन सरकार द्वारा बनाये गये अनेक नियम कानूनों से होता है। प्राचीनकाल का समय रहा हो या वर्तमान का कर अदा करने के प्रति लोगों में असंतोष उत्पन्न होता रहा है। यह सच है कि देश का प्रत्येक नागरिक कर चुकाने से बचना चाहता है परंतु अर्थव्यवस्था को गति देने एवं विकास हेतु राजस्व की आवश्यकता होती है। ऐसे में कर व्यवस्था का ढोंचा ऐसा होना चाहिए जिससे आम आदमी पर इसका भार कम से कम पड़े और राजस्व में वृद्धि भी हो। जबकि भारतीय कर व्यवस्था विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से अधिक पेचीदगी भरी है। भारतीय संघीय राज्य व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकारों को अनेक तरह के कर वसूलने का अधिकार प्राप्त है। जहाँ एक तरफ नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों को कई तरह के कर विभिन्न स्तरों पर अदा करने पड़ते हैं। वही अप्रत्यक्ष करों का भार आम नागरिकों पर पड़ता है।

कुंजीशब्द शब्द— पूर्वाचार्य, कर व्यवस्था, राजस्व कोष, वस्तु एवं सेवा, कर, गंतव्य आधारित, मूल्य संवर्धन, नवपरिचित मूल्य।

अध्ययन की समस्या— भारतीय बहु-स्तरीय कर संरचना के चलते आम जनता के साथ-साथ घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बजारों के बिक्री और मूल्यों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। उपरोक्त पृष्ठभूमि में क्यों भारतीय कर व्यवस्था समाज के निर्माण में सहायक रही है? जिससे आर्थिक विशमताओं में कमी हुई हो? वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता पर विचार करना सामयिक एवं समीचीन होगा। ब्रिटिश शासनकाल में देश की कर नीति का प्रभाव कुछ लोगों तक ही सीमित था। जिसका उद्देश्य लोक कल्याण, सामाजिक न्याय व्यवस्था एवं विकास कार्यों से नहीं बल्कि अपनी प्रशासन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कोष प्राप्त करना था। जिसमें अप्रत्यक्ष करों की बाहुलता थी। ब्रिटिश शासन ने अपने हितों की रक्षा के लिए मनमाने कर लगाये तथा उनको देश के आर्थिक विकास से कोई लेना देना नहीं था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात यह अनुभव किया गया कि आर्थिक विकास लक्ष्यों के अनुकूल कर व्यवस्था विकसित एवं कर व्यवस्था के ढोंचे में आवश्यक परिवर्तन किये जाय ताकि देश के आर्थिक विकास में सहायता मिल सके। आर्थिक नियोजन के प्रारंभ होने के साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकारों ने अपनी कर नीति में अपने तरीके से आवश्यक परिवर्तन करने प्रारंभ कर दिये जिससे विभिन्न तरह के करों का जन्म हुआ। भारत अपनी जटिल कर प्रणाली को अधिक से अधिक अनुकूल बनाने एवं जटिलता को समाप्त करने के लिए अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की दिशा में एक देश एक कर के साथ वस्तु एवं सेवा कर (जी. एस. टी) के रूप में एक महत्वपूर्ण कर सुधार कर रही है।

अध्ययन का उद्देश्य—

- भारतीय कर व्यवस्था के ढोंचे का अध्ययन करना।
- वस्तु एवं सेवाकर से राजस्व में वृद्धि का अध्ययन करना।
- वस्तु एवं सेवा कर के लाभ एवं इसके प्रभावों का अध्ययन करना।

अध्ययन का क्षेत्र— भारतीय कर का ढोंचा— देखा जाय तो वर्तमान भारतीय आयकर विभाग का संरचनात्मक ढोंचा वर्ष 1922 से प्रारंभ होता है। वर्ष 1924 में राजस्व अधिनियम के केन्द्रीय बोर्ड को संविधिक निकाय के रूप में गठित किया गया और वर्ष 1947 में आय पर कराधान (अन्वेषण) आयोग की स्थापना की गई, वही आयकर अधिनियम 1961 अप्रैल 1962 से अस्तित्व में आया। वर्ष 1963 में राजस्व अधिनियम केन्द्रीय बोर्ड को पारित कर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) का गठन किया गया। वर्ष 1981 में आयकर प्रणाली निदेशालय की स्थापना के साथ इसे आधुनिक तकनीकी का रूप प्रदान किया गया।

भारतीय संविधान का भाग 12 जिसमें अनु० 264 से 300 क, तक वित्त संपत्ति संविदाएँ एवं वाद से संबंधित है। अनु० 265 के अनुसार विधि के प्राधिकार के बिना करो का अधिरोपण न किया जाना—कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संगृहीत किया जायेगा, अन्यथा नहीं। इस तरह सघ में कर लगाने का दायित्व संसद को तथा राज्य में विधान मंडल को है। वही भारतीय संविधान का भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम को निश्चित करता है। भारत के संविधान में 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर 80वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 संघ और राज्यों के मध्य करों के बटवारे से संबंधित है, जबकि

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ASVP PIF-9.460 /ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14



88 वॉ संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 (अनु0 268 क) के तहत सेवाओं पर कर सरकार द्वारा पहली बार लगाया गया।

भारतीय कर व्यवस्था में करों को दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है – प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) एवं अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) प्रत्यक्ष कर वह कर है, जिस पर लगाया जाता है (चाहे कम्पनी, फर्म, समूह, या व्यक्ति हो) वही उस भार को वहन करता है। प्रत्यक्ष करों में आयकर, निगमकर पूंजीगत लाभकर, धनकर, सम्पत्तिकर, उपहार कर आदि हैं, जबकि अप्रत्यक्ष कर वह कर है जिस पर लगाया जाता है वह वहन न करके किसी दूसरे पर टाल देता है। यानि कर A पर लगाया परंतु कर अदा B द्वारा किया गया। अप्रत्यक्ष करों में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, बिक्रीकर, मूल्यवधित कर (वैट) आदि कर आते हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा वसूल किये जाने वाले प्रत्यक्ष करों में आयकर निगमकर, पूंजीलाभकर सुरक्षा सेक्युरिटी ट्रान्जेक्शन कर, तथा अप्रत्यक्ष करों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवाकर सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, मनोरंजन कर, वही राज्य सरकार द्वारा भूराजस्व, कृषि आयकर, राज्य उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, वैट, व्यवसाय कर मनोरंजन कर स्टाम्प ड्यूटी, वाहनों पर कर, रजिस्ट्रेशन कर आदि जबकि स्थानीय सरकारों के अन्तर्गत नगर पंचायत, नगर निगम एवं नगरपालिका द्वारा भी कर वसूल किये जाते हैं। भारतीय संविधान के अनु0 280 के अनुसार प्रत्येक पाँच वर्ष या उससे पहले वित्त आयोग के गठन की आवश्यकता पर बल दिया गया है, क्योंकि केन्द्र और राज्यों के मध्य कर अधिकारों एवं व्यय को लेकर असंतुलन तथा ठकराव होता रहता है। प्रथम वित्त आयोग 1951 से लेकर अब तक 15 वित्त आयोग गठित किये जा चुके हैं। जिसका मुख्य दायित्व संघ व राज्यों के वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना, करों के बटवारे की संस्तुति करना तथा राज्यों के मध्य इन करों के वितरण हेतु सिद्धांतों का निर्धारण करना है। भारतीय संविधान में अधिकारों तथा संसाधनों के स्पष्ट विभाजन के बाद भी संसाधनों के विभाजन में असंतुलन दिखाई देता है। इस असंतुलन को ध्यान में रखते हुए तथा करों की जटिलता को समाप्त करने के लिए खासकर अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की दिशा में सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये ताकि भारतीय कर ढाँचे को अनुकूल बनाया जा सके। इसी क्रम में वस्तु एवं सेवा कर के रूप में एक महत्वपूर्ण कर सुधार किया गया।

वर्ष 2000 में केलकर टास्क फोर्स द्वारा जीएसटी पर पहली बार प्रस्तावित विचार लाया गया। वस्तु और सेवा कर को लागू करने और राज्य मूल्य वर्धित कर, चुंगी और प्रवेश कर, विलासिता कर आदि को समाहित करने के लिए 122 वॉ संविधान संशोधन विधेयक 2014 लोकसभा में पेश किया गया। और लोक सभा ने 6 मई, 2015 को इसे पारित कर दिया। 8 सित, 2016 को राष्ट्रपति की सहमति के बाद इसे 101 वॉ संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के रूप में अधिनियमित किया गया इसके बाद अप्रैल 2017 में संसद ने चार एक्ट – केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST), एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST), संघ राज्य वस्तु एवं सेवा कर (UTGST), तथा वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों की प्रतिपूर्ति (compensation of State) पारित किये। वहीं राज्यों द्वारा राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST), विधेयक पारित किया गया। और इस तरह जीएसटी 1 जुलाई, 2017 से लागू हो गया।


वस्तु एवं सेवा कर (GST), लागू करने का पीछे मुख्य कारण – वर्ष 1986 से पूर्व एकल बिन्दु कर संग्रह (Single point Tax collection) के तहत कर कई आवश्यकताओं (Stages) में लिया जाता था जिसका परिणाम यह था कि किसी अवस्था पर जब कर लगेगा तो उस कर ट्रान्जेक्शन पर इस बात का असर नहीं पड़ेगा कि पहले कर अदा किया या नहीं। इसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी इस दोहरे कराधान एवं मौजूदा बिक्री कर संरचना के व्यापक प्रभाव से बचने के लिए मूल्य वर्धित कर (VAT) का जन्म हुआ। किसी फर्म या उद्योग द्वारा एक समयावधि में उत्पादित किसी वस्तु के मूल्य और उस वस्तु के उत्पादन के लिए किसी अन्य उद्योग या फर्म से खरीदी गयी वस्तु या सेवा के मूल्य अंतर को वर्धित मूल्य कहा जाता है। और इस नववर्धित मूल्य के प्रत्येक स्तर पर लगने वाले कर को वैट कहते हैं। 1 अप्रैल, 2005 से लागू वैट करों के व्यापक प्रभाव को पूरी तरह समाप्त करने में सक्षम नहीं था। वैट के तहत सेवा पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करना कठिन था। राज्यों में वैट की अलग-अलग दर और नियमों ने इसे सबसे जटिल कराधान प्रणालियों में से एक बना दिया जबकि वैट को शुरूआती समय में अप्रत्यक्ष कर सुधारों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा था। वैट के अंतरगत वस्तुओं और सेवाओं पर लगाये गये करों जैसे मनोरंजन एवं विलासिता कर को शामिल नहीं किये जाने से व्यापक कर संग्रह के लाभ हाशिये पर थे। प्रत्येक राज्यों की सीमा में प्रवेश करने पर इन्ट्रीकर एवं चुंगी कर देना पड़ता था। सेनवेट के अंतर्गत उपकरणों एवं प्रभारों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की अधिकता ने कर ढाँचे को जटिल बना दिया था और टैक्स क्रेडिट के सुगम प्रवाह को बाधित करती थी। वस्तु की अंतर राज्यकीय बिक्री पर केन्द्र द्वारा लगाये और राज्यों द्वारा संग्रहीत केन्द्रीय बिक्री कर लगता था। जो एक उत्पत्ति आधारित बिक्री कर था और इसे अनेक स्थितियों में वैट से सेट-ऑफ नहीं किया जा सकता था। साथ ही राज्य सरकारों द्वारा विलासिता, मनोरंजन एवं प्रवेश कर जैसे अनेक अप्रत्यक्ष कर लगाये और वसूल किये जाते थे जिनके लिए कोई सेट-ऑफ उपलब्ध नहीं था। जीएसटी आने से पूर्व राज्य एवं केन्द्र के करों का भुगतान अलग-अलग करना पड़ता था। इसके आने से राज्य और केन्द्र के सभी कर एक जगह चुकाना आसान हो गया। बहु-स्तरीय कर संरचना की समस्या को दूर करने के लिए जीएसटी को व्यापक अप्रत्यक्ष कर सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाने लगा।

वस्तु एवं सेवा कर (GST)– जीएसटी “गंतव्य सिद्धांत” के आधार पर खपत या गंतव्य आधारित एक अप्रत्यक्ष कर है, जो वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर लगता है। विनिर्माता से उपभोक्ता तक वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर लगने वाला यह एकल कर केवल मूल्य संवर्धन पर लगता है। जिसका भार अंतिम उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाता है। इस तरह जीएसटी, गंतव्य आधारित, व्यापक, मूल्यवर्धित अप्रत्यक्ष, एक बहुचरणीय कर है। जीएसटी की संरचना दोहरी प्रकृति की है जिसके अन्तर्गत केन्द्र और राज्य सरकार एक साथ समान आधार पर कर वसूल करेगी। केन्द्र सरकार द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं को राज्य के भीतर आपूर्ति पर लगाये जाने वाले कर को CGST (Central goods – service Tax), राज्य या संघ राज्य सरकार द्वारा लगाये गये करों को (SGST - State Goods



– Service Tax) या UGST(Union Territory Goods & Service Tax) तथा अंतर राज्य वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगने वाले कर को IGST (Integrated Goods & Service Tax) कहाँ जाता है।

वस्तु एवं सेवा कर ढाँचे के रूप



किसी भी ट्रांजेक्शन में लगने वाला कर जो केन्द्र सरकार को जाता है, वह केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर (CGST) तथा किसी भी ट्रांजेक्शन में लगने वाला कर जो राज्य सरकार को जाता है वह राज्य वस्तु और सेवाकर (SGST) कहलाता है। जबकि IGST तथा UTGST के तहत लगने वाले कर केन्द्र सरकार के अधीन होते हैं। GST के अन्तर्गत 5%, 12%, 18, एवं 28% की कुल चार तरह की दरें निर्धारित की गई हैं।

जीएसटी संग्रह— वित्त वर्ष 2017-18 में अगस्त, 2017 से मार्च, 2018 तक के मध्य कुल 7.19 लाख करोड़ रुपये के राजस्व संग्रह में 1.19 लाख करोड़ रुपये सी.जी.एस.टी. तथा 1.72 लाख करोड़ रुपये का तथा एस.जी.एस.टी संग्रह हुआ। आठ महिनों के इस अवधि के दौरान औसतन मासिक संग्रह 89885 करोड़ रुपये हुआ। चालू वित्त वर्ष 2018-19 में जीएसटी का औसत सकल संग्रह पिछले वर्ष की औसत सकल संग्रह की तुलना में 97555 करोड़ रुपये (जन0 2019 तक) लगभग 7670 करोड़ रुपये वृद्धि के साथ हुआ। वहीं मार्च 2020 में जीएसटी राजस्व संग्रह 97597 करोड़ रुपये हुआ। कोविड - 19 महामारी फैलने के बाद भी वित्त वर्ष 2020-21 में कुल जीएसटी संग्रह 1136805 करोड़ रुपये तथा वित्त वर्ष 2020-21 में अप्रैल से अक्टूबर तक 810816 करोड़ रुपये संग्रह किये गये जो वित्त वर्ष 2020-21 तथा वित्त वर्ष 2019-20 में इसी अवधि के लिए सकल संग्रह आकड़ों पर क्रमशः 48.11% तथा 18.15% की वृद्धि को दर्शाता है। हालांकि वित्त वर्ष 2021-22 में कुल जीएसटी संग्रह 1476000 करोड़ रुपये की रिकार्ड अब-तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुँच गया, जो वित्त वर्ष इसी महीने के जीएसटी राजस्व संग्रह से 12% अधिक है।

जीएसटी के लाभ एवं प्रभाव— 1 अप्रैल, 2017 से लागू जीएसटी भारतीय कर सुधार के इतिहास में एक ऐतिहासिक कर सुधार माना जा रहा है, क्योंकि यह कर व्यापार को सुगम बनाने तथा भारत को वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाने में सहायक होगा। दीर्घकाल में जीएसटी पूँजीगत वस्तुओं की लागत को कम करके विदेशी निवेश को बढ़ावा देगा और रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे। जीएसटी राज्य में लगे अलग-अलग कर की दरों में एकरूपता लायेगा, तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट द्वारा इन करों के प्रभावों को कम करेगा। जीएसटी में न्यूनतम छुटों के साथ व्यापक कर आधार उस उद्योग की सहायता करेगा, जो सामान्य प्रक्रियाओं का लाभ लेने तथा भुगतान किये गये करों के लिए साख का दावा करने में सक्षम होगी। एक समान आधार और समान कर की दरें केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य प्रशासन को सुगम कर अनुपालन में सुधार लायेगी। जीएसटी के अन्तर्गत छोटे व्यापारियों को कर मुक्त रखा गया है। नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी से भारतीय जीडीपी में 2 से 3 प्रतिशत वृद्धि की संभावना व्यक्त की गयी थी। हालांकि जीएसटी के लागू होने से जहाँ विभिन्न तरह के करों में कमी आयी वहीं सेवा जैसे करों का भार आम जनता पर अधिक पड़ने लगा है। जीएसटी लागू होने से बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं वाले क्षेत्र में जैसे प्रोसेसिंग फीस, क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तथा बीमा प्रीमियम पर लगने वाले टैक्स में वृद्धि हुई है। जिसका अंतिम भार आम जनता पर ही पड़ रहा है। अतः सेवाओं के प्रत्येक स्तर पर लगने वाला कर जीएसटी उपभोक्ताओं के उपभोग को कहीं न कहीं प्रभावित कर रहा है।

निष्कर्ष एवं सुझाव— भारत में जीएसटी लागू होने से देश की अर्थव्यवस्था में बृहत स्तर पर परिवर्तन आया है। इसके लागू होने से संपूर्ण भारत में एक समान कर व्यवस्था के तहत विभिन्न तरह के लगने वाले करों से मुक्ति मिली है और बहुस्तरीय, जटिल कर संरचना की जगह अब एक सरल, पारदर्शी संचालित कर व्यवस्था स्थापित हो गई है। राज्यों के मध्य परस्पर होने वाले वाणिज्य तथा व्यापार में आने वाली आघाटें कम हुई हैं और बाजार का आकार विस्तृत हुआ है। रोजगार के नये अवसर सृजित हुए हैं। बहु-स्तरीय कर व्यवस्था के समाप्त होने से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की धरणा में सफलता मिलने से एकीकृत और व्यावसायिक राष्ट्रीय बाजार को प्रसारित करने में सफलता मिली है। जिससे मेक इन इण्डिया को प्रोत्साहन मिला है, परंतु जीएसटी लागू किये जाने के बाद भी उपभोक्ताओं पर कर का भार बहुत हद तक कम नहीं हुआ है। कई स्तरों पर जीएसटी दरों की संख्या बहुत अधिक है, जिसका भार अंततः उपभोक्ताओं पर पड़ता है। संव्यवहार के इनवाइस स्तरीय समाधान के लिए एक मजबूत व्यवस्था का अभाव अभी भी है। कर



दाताओं और राजस्व हित को देखते हुए इसमें समय-समय पर सुधार की आवश्यकता है। कई आवश्यक एवं जीवन रक्षक वस्तुओं पर जीएसटी की दर अधिक है, जिसे निम्न स्तर पर लाये जाने की आवश्यकता है। विशेषकर आदान पर भुगतान किये गये कर की 'क्रेडिट' और निर्यातकों को रिफण्ड करने को लेकर कई तरह की समस्याएँ आती हैं जिसका समाधान किया जाना चाहिए। जीएसटी के अन्तर्गत लगने वाले सेवामार के तहत व्यापारियों उपभोक्ताओं एवं निवेशकों के हित लाभों को देखते हुए समय-समय पर इसमें बदलाव किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. www.gst.gov.in
2. <https://gstcouncil.gov.in>
3. Business standard.press.turst of India 30 july 2017.
4. Mehra & puja (27 June, 2017), GST. An old New Tax : The hindu opinion 3 july 2017.
5. Yojana, Nov. 2016.
6. Press information Bureav 27 Apr. 2018 New Delhi.
7. Press Information Bureav 1 Apr. 2020, New Delhi .
8. The economic weekly, Jan.26, 1953.
9. वस्तु एवं सेवाकर मार्गदर्शिक, भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान, लोदी रोड़ नई दिल्ली, 2018.
10. माल और सेवाकर एक परिचय, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड।
